सैरातों की अल्पकालिन बंदोबस्ती हेतु आम–सूचना
अवर प्रमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय
सोन नहर अवर प्रमण्डल, सिकरौल, बक्सर।

एतद द्वारा सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि सोन नहर अवर प्रमण्डल, सिकरौल के क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित विभागीय सैरातों की अल्पकालिन बन्दोबस्ती वितीय वर्ष 2026–27 के लिए खुला डाक से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय कक्ष में दिनांक–23.07.2026 को 12:30 PM बजे दिन में खुली डाक द्वारा की जायेगी। दिनांक–23.07.2026 को निलामी की प्रक्रिया सम्पन्न नहीं होने पर अगली तिथि 25.07.2026 एवं 27.07.2026 को 12:30 बजे दिन में खुली डाक द्वारा की जायेगी। जिस स्थल की बंदोबस्ती प्रथम तिथि को हो जाती है उस स्थल की बंदोबस्ती अगले तिथि को नहीं होगी। शेष बचे हुए स्थल की ही बंदोबस्ती अगले निर्धारित तिथियों को ही की जायेगी। आपके द्वारा अगर निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय पर बंदोबस्ती/डाक बोलने के लिए उपस्थित नहीं होते है तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। इस संबंध में आपका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

क्र0 सं0	सैरातों का नाम	प्रस्तावित डाक/बंदोबस्ती की तिथि	सुरक्षित जमा राशि (रूपये में)	जमानत/अग्रधन की राशि (रूपये में)	अभियुक्ति
1	सिकरौल लॉक से पश्चिम L.P.C की मछली मारने की निलामी	23.07.2026	18700.00	1900.00	
2	सिकरौल थाना से सटे तलाब में मछली मारने हेतु तीन वर्षो के लिए वितीय वर्ष 2024–25 से 2026–27 तक मछली मारने की		14000.00	1450.00	
3	बक्सर मुख्य नहर के स्केप लॉक से दक्षिण मछली मारने की निलामी		35500.00	3600.00	
4	सिकरौल राजवाहा के हेड स्लूइस से 50 फिट की दूरी पर मछली मारने की निलामी		750.00	200.00	
5	बक्सर शाखा नहर में घुनसारी पुल से सिकरौल लॉक तक मछली मारने की निलामी		29850.00	2950.00	
6	बक्सर शाखा नहर में चौराठी लॉक से निचे अवाढ़ी मेदनीपुर ग्राम के पास मछली मारने की निलामी		19400.00	2000.00	
7	घुनसारी पुल से पश्चिम दो गढो में मछली मारने की निलामी		4350.00	450.00	
8	बक्सर शाखा नहर में नटवार लॉक से निचे खरूआ ग्राम के पास मछली मारने की निलामी		1350.00	200.00	
9	साथ नहर में भुंई डेटम से निहालपुर तक मछली मारने की निलामी		2850.00	300.0.00	
10	साथ नहर में 0 मील से 2 मील तक मछली मारने की निलामी		70900.00	7300.00	

बंदोबस्ती की शर्तें

1. बंदोबस्ती एवं डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति जमानत की राशि जमा करने के बाद ही बंदोबस्ती/डाक में भाग लेगें। सफल डाक वक्ता डाक की प्रक्रिया की समाप्ति के तुरंत बाद ही डाकबोली की पुरी राशि एक मुस्त जामा करना होगा।
2. यदि उचतम डाक वक्ता द्वारा बोले गये राशि पर बंदोबस्ती नहीं ली जाती है तो उसके जमानत के रूप में जामा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी एवं द्वितीय डाक वक्ता के साथ बंदोबस्ती की कार्रवाई की जायेगी। तथा अन्य व्यक्तियों की जमानत की राशि उसी समय वापस कर दी जायेगी।
3. डा की कार्रवाई या किसी प्रकार का निर्णय लेने या बंदोबस्ती रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
4. निलामी की सम्पुष्टि कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमण्डल, बक्सर के द्वारा होने के पश्चात ही निलामी प्राप्त कर्ता को भर पाई रसीद दी जायेगी।
5. निलामी/बन्दोबस्ती लेने वाले व्यक्ति को ध्यान देना होगा की मछली पकड़ते समय नहर की सुरक्षा एवं सिंचाई में कोई बाधा उत्पन्न न हो। साथ ही नहर में बने संरचना से कम से कम 50 फिट दूरी पर ही मछली पकड़ने का कार्य करेगें।

ह0/–

अवर प्रमण्डल पदाधिकारी
सोन नहर अवर प्रमण्डल, सिकरौल

पत्रांक ....186........./ सिकरौल, दिनांक 14.07.2026

प्रतिलिपिः–प्रचार–प्रसार हेतु अग्रसारित

1. सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को बंदोबस्ती आम सूचना की 01 प्रति एवं सी0डी0 सहित हिन्दी के सामाचार पत्रों में लगातार 02 दिनों तक प्रकाशनार्थ समप्रेषित।

Umesh
14.07.26

अवर प्रमण्डल पदाधिकारी
सोन नहर अवर प्रमण्डल, सिकरौल